छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा द्वितीय सत्र अंक-04

रायपुर, गुरूवार, दिनांक 24 जुलाई, 2014

(श्रावण-2, शक संवत 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 15 (कुल 15) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 64 तारांकित एवं 62 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. स्थगन प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में सत्यापन के नाम पर व्यापक पैमाने पर राशन कार्ड निरस्त किए जाने से उत्पन्न स्थिति संबंधी 38 सदस्यों की ओर से प्राप्त स्थगन सूचनाओं में से श्री भूपेश बघेल, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त होने से पढ़ी गई।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य कर चर्चा हेतु 3.00 बजे का समय निर्धारित किया।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार -

(i) अधिसूचना क्रमांक 53/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2013, दिनांक 07 जनवरी, 2014 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण की निबंधन एवं शर्तें तथा दरों और प्रभारों से अनुमानित राजस्व के निर्धारण हेतु पद्धति और प्रक्रिया) विनियम, 2012,

(ii) अधिसूचना क्रमांक 55/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2013, दिनांक 10 जनवरी, 2014 द्वारा अधिसूचित विनिमय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (कार्य संचालन-प्रथम संशोधन) विनियम, 2013,

(iii) अधिसूचना क्रमांक 56/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2012, दिनांक 16 जनवरी, 2014 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु) विनियम, 2012,

(iv) अधिसूचना क्रमांक 57/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2013, दिनांक 16 जनवरी, 2014 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के निर्धारण की दशाएं और शर्तें और संबंधित विषयवस्तु) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013, तथा

(v) अधिसूचना क्रमांक 58/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2014, दिनांक 16 जनवरी, 2014 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग (संयोजकता तथा राज्यांतरिक मुक्त सुगम्यता) प्रथम संशोधन विनियम, 2012,

(2) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013, तथा

(3) श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 (दिनांक 1.7.2012 से 30.6.2013) **पटल पर रखे।**

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, भूपेश बघेल, सियाराम कौशिक, सदस्य ने जिला बालोद एवं बिलासपुर में पटवारी भर्ती में अनियमितता किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

6. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमशः)

(2) डॉ.विमल चोपड़ा, श्री मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने जिला महासमुंद एवं जांजगीर-चांपा में भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल की योजनाओं में अनियमितता व्याप्त होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री अमर अग्रवाल, श्रम मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. नियम 267-क के अधीन विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267 क (2) को शिथिल कर निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री मोहन मरकाम
2. श्री सत्यनारायण शर्मा

3. श्री श्रवण मरकाम
4. श्री केशव चंद्रा
5. श्री राजमहंत सावंलाराम डाहरे
6. डॉ.विमल चोपड़ा
7. श्री कवासी लखमा
8. श्री भोलाराम साहू
9. श्री लालजीत सिंह राठिया
10 श्री दलेश्वर साहू
11. श्री मोतीलाल देवांगन
12. श्री टी.एस.सिंहदेव
13. श्री महेश गागड़ा
14. श्री संतोष उपाध्याय

8. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री श्रीचंद सुंदरानी, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 25 जुलाई, 2014 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्प पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	*सदस्य का नाम*	*समय*
1. (क्रमांक - 01)	श्री टी.एस.सिंहदेव	1 घंटे 30 मिनट
2. (क्रमांक - 03)	श्री चुन्नीलाल साहू (खल्लारी)	1 घंटा

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गयीं :-

1. श्री राजमहंत सावंलाराम डाहरे
2. श्री मोतीलाल देवांगन

10. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि उन्होंने -

(1) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 12 सन् 2014),

(2) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 13 सन् 2014),

(3) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 14 सन् 2014), तथा

(4) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 15 सन् 2014)

को वर्तमान सत्र की अल्प शेष अवधि के परिप्रेक्ष्य में तथा विधेयक की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश क्रमांक 23(2) एवं 24 तथा विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) को, सदन की अनुमति की प्रत्याशा में, शिथिल कर आज पुरःस्थापन, विचार तथा पारण की अनुमति प्रदान की है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

(1) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 12 सन् 2014)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 12 सन् 2014) पुरःस्थापित किया।

(2) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 13 सन् 2014)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 13 सन् 2014), पुरःस्थापित किया।

(3) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 14 सन् 2014)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 14 सन् 2014) पुर:स्थापित किया।

(4) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 15 सन् 2014)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 15 सन् 2014) पुर:स्थापित किया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उनके द्वारा -

(1) छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 12 सन् 2014),

(2) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 13 सन् 2014),

(3) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय(संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 14 सन् 2014), तथा

(4) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 15 सन् 2014)

पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 30-30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) भारतीय वन (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 9 सन् 2014)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय वन (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 9 सन् 2014) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, देवजी भाई पटेल, चुन्नीलाल साहू (खल्लारी)।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 13 इस विधेयक का अंग बने ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि भारतीय वन (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 9 सन् 2014) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 10 सन् 2014)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 10 सन् 2014) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री नवीन मारकण्डेय, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 10 सन् 2014) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(3) अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 11 सन् 2014)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 11 सन् 2014) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री मोहन मरकाम, नवीन मारकण्डेय ।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 8 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 11 सन् 2014) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

(2.05 से 3.03 बजे तक अंतराल)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

12. स्थगन प्रस्ताव (क्रमशः)

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री लाफचंद बाफना,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री धनेन्द्र साहू, अवधेश सिंह चंदेल, अमित अजीत जोगी, राजमहंत सांवलाराम डाहरे,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अमरजीत भगत, मनोज सिंह मंडावी, श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई)

13. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि कल दिनांक 25 जुलाई को छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल महोदय का शपथ ग्रहण समारोह अपराह्न 12.50 बजे राजभवन में आयोजित है । निमंत्रण पत्र समस्त सदस्यों को वितरित किये जा चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होने हेतु कल सभा की बैठक प्रश्नकाल के पश्चात् अपराह्न 2.30 बजे तक के लिये स्थगित होगी व कार्यसूची के शेष कार्य हेतु बैठक पुनः 2.30 से प्रारंभ होगी।

सायं 5.46 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनाँक 25 जुलाई, 2014 (श्रावण, 3 शक संवत् 1936) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा